

राजस्थान सरकार  
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
2, जल पथ, गांधी नगर जयपुर

क्रमांक : एफ.3(1)( )स्था/आईसीडीएस/18/105805


जयपुर, दिनांक : 11-6-18

आदेश

निम्नलिखित वाहन चालकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख स्थानों पर तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं -

क्र.सं.	नाम कार्मिक (श्री/श्रीमती/सुश्री)	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन	विशेष विवरण
1	नरेन्द्र मीणा	परि. सवाई माधोपुर शहर	परि. महुवा (दौसा)	रामसिंह के स्थान पर
2	रामसिंह	परि. महुवा (दौसा)	परि. सवाई माधोपुर शहर	नरेन्द्र मीणा के स्थान पर

उक्त आदेश को कार्यमुक्ति आदेश मानते हुए कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे नवपदस्थापित स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण करना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


  
उप निदेशक (प्रशासन)  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ.3(1)( )स्था/आईसीडीएस/18/105906/11

जयपुर, दिनांक : 11-6-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीया मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
4. सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद।
5. निदेशालय के समस्त अधिकारीगण।
6. सम्बन्धित उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित कार्मिकों को तत्काल कार्यमुक्त कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण रिपोर्ट 3 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करावें।
7. सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित कार्मिकों को तत्काल कार्यमुक्त कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण रिपोर्ट 3 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करावें।
8. लेखाधिकारी भुगतान निदेशालय जयपुर।
9. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित कार्मिक
11. व्यक्तिगत पत्रावली
12. आदेश पत्रावली

  
उप निदेशक (प्रशासन)  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान जयपुर